तारीख हुक्म	फर्द अहकाम (नियम 15) हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज अज अदालत :– जिला कलक्टर, धौलपुर (राज0) अशोक सिघंल बनाम लोक सूचना अधि0 (अति0जिला कलक्टर धौलपुर) प्रथम अपील, (मु0संख्या 05 / 2023) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जीसीएमएस न0 2023 / 18)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
21.03.2023	अपीलान्ट अनुपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। अपीलान्ट श्री अशोक सिघंल ने यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा वांछित सूचना पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण प्रस्तुत की है। अपीलान्ट का प्रस्तुत अपील में यह कथन है कि पत्र कमांकः लेखा / 2022–23 / 06 दिनांक 17.01.2023 के साथ प्लेसमेंन्ट ऐजेसीं / संवेदक मैसर्स जेएसके कनसट्रेक्शन कल्यानपुर धौलपुर के विल इनवाइस कमांक 113 दिनांक 6.10.2022 की अप्रमाणित छायाप्रति वतौर सूचना के भेजी गई है जिसमें रिलीफ डिर्पाटमेंन्ट में 01 सितम्बर 2022 से 30 सितम्बर तक की इनवाइस भेजी गई है अन्य अनुभागों / कार्यालयों की सूचना नहीं दी गई है और ना ही विल वाउचरों की प्रति दी है। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर धौलपुर को अपील की प्रति भिजवाई जाकर उनसे टिप्पणी प्राप्त की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलक्टर धौलपुर ने अपने पत्र कमांकः प्रथम अपील / आरटीआई / 2023 / 108 दिनांक 09.03.2023 के द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी / रिपोर्ट में अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत '' **जिला कलक्टर के अधीन विभिन्न अनुभागों / कार्यालय में कार्यरत राजस्थान लोक उपापन 2012 एवं नियम 2013 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022 तक एवं वित्तीय वर्ष 2022–23 में दिनांक 01.04.2022 से 20.11.2022 तक मानव संसाधन की सेवाओं के लिए प्लेंसमेंट ऐजेन्सी / संवेदक आदि के द्वारा कम्प्यूटर आपरेटर मैन बिद मशीन उपलब्ध कराये जाने पर आपके कार्यालय द्वारा भुगतान किये गये मूल मानदेय,कम्प्यूटर किराया, सविर्स चार्जेज, नियुक्ता पी.एफ. अंशदान एवं ईएसआई सहित किये गये भुगतान से संबधित बिल बाउचरों आदि की प्रमाणित छाया प्रति उपलब्ध करावें** '' उक्त सूचना चाही गई। प्रभारी अधिकारी लेखा अनुभाग कलेक्ट्रेट धौलपुर द्वारा अपीलार्थी को सीधे ही	

अपने पत्रांक लेखा/06 दिनांक 17.01.2023 से सूचना भिजवाई जा चुकी है। अपीलार्थी लेखा अनुभाग की प्राप्त सूचना से असंतुष्ट है। इसलिये अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अतः वांछित सूचना हेतु प्रभारी अधिकारी लेखा अनुभाग कलेक्ट्रेट धौलपुर को लिखा जाना उचित होगा।

हमने अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर लोक सूचना अधिकारी जिला कलेक्ट्रैट धौलपुर द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी/रिपोर्ट एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र में यह सूचना चाही गई कि " **जिला कलक्टर के अधीन विभिन्न अनुभागों/कार्यालय में कार्यरत राजस्थान लोक उपापन 2012 एवं नियम 2013 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022 तक एवं वित्तीय वर्ष 2022–23 में दिनांक 01.04.2022 से 20.11.2022 तक मानव संसाधन की सेवाओं के लिए प्लेंसमेंट ऐजेन्सी/संवेदक आदि के द्वारा कम्प्यूटर आपरेटर मैन बिद मशीन उपलब्ध कराये जाने पर आपके कार्यालय द्वारा भुगतान किये गये मूल मानदेय,कम्प्यूटर किराया, सर्विर्स चार्जेज, नियुक्ता पी.एफ. अंशदान एवं ईएसआई सहित किये गये भुगतान से संबधित बिल बाउचरों आदि की प्रमाणित छाया प्रति उपलब्ध करावें** " प्रभारी अधिकारी लेखा अनुभाग कलेक्ट्रेट धौलपुर द्वारा अपीलार्थी को पत्रांक लेखा/06 दिनांक 17.01.2023 से जो सूचना भेजी गई है वह अपूर्ण एवं अप्रमाणित भेजी गई है। अन्य अनुभागों/कार्यालय की सूचना नहीं दी गई है। इस प्रकार अपीलार्थी की उक्त अपील स्वीकार योग्य पाई जाती है

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। प्रभारी अधिकारी लेखा अनुभाग कलेक्ट्रेट धौलपुर को आदेशित किया जाता है कि वह अपीलान्ट/आवेदक को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र में चाही गई सूचना पूर्ण रूप से प्रमाणित प्रति के साथ दस दिवस में नियमानुसार उपलब्ध कराई जावे। निर्णय की प्रति प्रभारी अधिकारी लेखा अनुभाग कलेक्ट्रेट धौलपुर एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर लोक सूचना अधिकारी जिला कलेक्ट्रैट धौलपुर तथा अपीलान्ट को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो

(अनिल कुमार अग्रवाल)
जिला कलक्टर